एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1573/2007
रामसिंह गुर्जर बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

10.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री बी.आर.चौधरी, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता एक सजायाफता अभियुक्त है तथा उसे अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2001 के अन्तर्गत 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गयी थी। वह वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, भरतपुर में परिरोधित है। इस याचिका में उसने यह अनुतोष चाहा है कि उसे केन्द्रीय कारागार, भरतपुर से जिला कारागार, गंगापुर सिटी स्थानांतरित किया जावे ताकि उसकी पत्नी एवं दो पुत्रियां, जो गंगापुर सिटी में निवास करती हैं तथा घर में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, को उससे मिलने में आसानी रहे क्योंकि भरतपुर वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका यह भी कथन है कि उसे दो बार नियमित पेरोल पर भी छोड़ा गया, उसका चालचलन अच्छा रहा है तथा उसने कारागार में समय पर समर्पण कर दिया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं यह मानता हूं कि इस रिट याचिका में इस न्यायालय के स्तर पर कोई निर्णय किये जाने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता इस बाबत एक प्रतिवेदन महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान,जयपुर को दो सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करे। वे उक्त तथ्य तथा याचिकाकर्ता की आयु एवं उसके चालचलन के परिपेक्ष्य में

याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन का निस्तारण एक माह की अवधि में आवश्यक रुप से करेंगे।

यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति